

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-522

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाएं

*522. डॉ. रविन्द्र बाबू:

श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अनेक ताप विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार किया जा रहा है/बन्द हो गई हैं और प्रचालन में नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा ऐसी विद्युत परियोजनाओं का उन्नयन/पुनरुद्धार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा परियोजना-वार कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अन्य परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है;
- (घ) निर्धारित समय से पीछे चल रही विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है; और
- (ङ) क्या सरकार द्वारा देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु कोई रोडमैप तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 522 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : 1150 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली कुल 8 कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन यूनिटें नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) / जीवन विस्तार (एलई) कार्यों के लिए बंद हैं। इन ताप विद्युत संयंत्रों के यूनिट-वार ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

611.5 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली कुल 8 ताप विद्युत उत्पादक यूनिटें; 2398 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली कुल 50 ताप विद्युत उत्पादक यूनिटें तथा 716.5 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली 10 ताप विद्युत उत्पादक यूनिटें क्रमशः 10वीं, 11वीं तथा 12वीं योजना के दौरान कार्य-निवृत्त की जा चुकी हैं। इन विद्युत संयंत्रों की सूची अनुबंध-॥ में दी गई है।

(ख) : आर एंड एम / एलई, कार्य संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर कराए जाते हैं। आर एंड एम/एलई कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं:

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आर एंड एम / एलई परियोजनाओं की निगरानी।
- संबंधित विद्युत यूटिलिटियों से अनुरोध प्राप्त होने पर सीईए / एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा उन्हें आर एंड एम क्षेत्र के कार्यों इत्यादि के लिए, तकनीकी इनपुट प्रदान किया जाना।
- पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) / ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से ऋण के रूप में धनराशि उपलब्ध कराना।
- विद्युत मंत्रालय तथा सीईए ने राज्य और केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों के साथ, ऊर्जा दक्षता आर एंड एम (ईईआर एंड एम) के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी एवं वित्त, दोनों दृष्टियों से सहायता के लिए बाह्य सहयोग की शुरुआत की है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात्, विद्युत उत्पादन को लाइसेंस-रहित कर दिया गया है तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। इसलिए राज्यों से ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सीईए में प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(घ) : परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई सूचना के अनुसार 57125 मेगावाट की समग्र क्षमता वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं की 114 यूनिटें निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं। विलंब के कारणों तथा अब तक व्यय की गई धनराशि सहित क्षेत्र तथा परियोजना-वार ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

(ड) : देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) के मांग अनुमान के आधार पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की योजना है। इन लक्ष्यों में से, 31.03.2015 तक पारंपरिक स्रोतों से 61014 मेगावाट तथा नवीकरणीय स्रोतों से 15828 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही हासिल कर ली गई है।

अनुबंध-1

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 522 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ताप विद्युत परियोजनाओं (यूनिटों) की सूची, जो बंद कर दी गई हैं और आर एंड एम/एलई के अंतर्गत हैं

राज्य क्षेत्र आरएंडएम/एलई कार्यक्रम (कोयला आधारित)

क्रम सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट सं.	चालू होने का वर्ष	क्षमता (मेगावाट)
1	उत्तर प्रदेश	ओबरा	7	1974	100
2		ओबरा	10	1977	200
3		ओबरा	11	1977	200
4		हरदुआगंज	7	1978	110
5	बिहार	बरोनी	6	1983	110
6		बरोनी	7	1985	110
7	पश्चिम बंगाल	बंडेल	5	1982	210
8	झारखण्ड	पतरातु	9	1984	110
कुल राज्य क्षेत्र (आरएंडएम/एलई)			8		1150

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 522 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

10वीं, 11वीं और 12वीं योजना के दौरान कार्यनिवृत्त किए गए संयंत्रों की सूची

10वीं योजना के दौरान कार्यनिवृत्त की गईं यूनिटें

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कार्यनिवृत्त (मेगावाट)	में कार्यनिवृत्त की गईं
1	उतरन सीसीजीटी, गुजरात	45	45	2002-03
2	धुवरन, गुजरात	27.0	27.00	मार्च, 06
3	पंकी, उत्तर प्रदेश	32.0	32.00	मार्च, 06
4	बोकारो, डीवीसी	75.0	75.00	मार्च, 06
5	मुल्लाजोर, पश्चिम बंगाल	120.0	120.00	मार्च, 06
6	नैल्लोर, आंध्र प्रदेश	30.0	30.00	मार्च, 07
7	बोकारो, डीवीसी	172.5	172.5	31.02.06
8	हरदुआगंज, उत्तर प्रदेश	110.0	110.00	फरवरी, 07
	सकल योग	611.5	611.50	

11वीं योजना के दौरान कार्यनिवृत्त की गईं/खराब यूनिटें

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	यूनिट सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कार्यनिवृत्त (मेगावाट)	में कार्यनिवृत्त की गईं
1	धुवरन टीपीएस	1	63.50	63.50	अप्रैल, 2007
2	धुवरन टीपीएस	2	63.50	63.50	अप्रैल, 2007
3	धुवरन टीपीएस	3	63.50	63.50	अप्रैल, 2007
4	धुवरन टीपीएस	4	63.50	63.50	अप्रैल, 2007
5	गलेकी जीपी एस मोबाइल	1	3.00	3.00	मार्च, 2008
6	गलेकी जीपी एस मोबाइल	2	3.00	3.00	मार्च, 2008
7	गलेकी जीपी एस मोबाइल	3	3.00	3.00	मार्च, 2008
8	कोथलगुरी जी पी एस मोबाइल	4	3.00	3.00	मार्च, 2008
9	कोथलगुरी जी पी एस मोबाइल	5	3.00	3.00	मार्च, 2008
10	कोथलगुरी जी पी एस मोबाइल	6	3.00	3.00	मार्च, 2008
11	कोथलगुरी जी पी एस मोबाइल	7	3.00	3.00	मार्च, 2008
12	बोंगाईगांव टीपीएस	1	60.00	60.00	मार्च, 2008
13	बोंगाईगांव टीपीएस	2	60.00	60.00	मार्च, 2008
14	बोंगाईगांव टीपीएस	3	60.00	60.00	मार्च, 2008
15	बोंगाईगांव टीपीएस	4	60.00	60.00	मार्च, 2008
16	पटना (करबीघा) टीपीएस	1	1.50	1.50	मार्च, 2008
17	पटना (करबीघा) टीपीएस	2	1.50	1.50	मार्च, 2008
18	पटना (करबीघा) टीपीएस	3	3.00	3.00	मार्च, 2008
19	पटना (करबीघा) टीपीएस	4	7.50	7.50	मार्च, 2008
20	हरदुआगंज टीपीएस	2	50.00	50.00	जून, 2008
21	हरदुआगंज टीपीएस	4	60.00	60.00	जून, 2008
22	डीजल पावर स्टेशन (सीएचडी)	1 से 5	2.00	2.00	जून, 2008
23	अमरकंटक टीपीएस	1	30.00	30.00	सितंबर, 2008

24	अमरकंटक टीपीएस	2	30.00	30.00	सितंबर, 2008
25	ओबरा टीपीएस	3	50.00	50.00	सितंबर, 2008
26	ओबरा टीपीएस	4	50.00	50.00	सितंबर, 2008
27	ओबरा टीपीएस	5	50.00	50.00	सितंबर, 2008
28	फरीदाबाद टीपीएस	2	60.00	60.00	जनवरी, 2009
29	फरीदाबाद टीपीएस	1	60.00	60.00	फरवरी, 2010
30	आई पी स्टेशन यूनिट	2	62.50	62.50	फरवरी, 2010
31	आई पी स्टेशन यूनिट	3	62.50	62.50	फरवरी, 2010
32	आई पी स्टेशन यूनिट	4	62.50	62.50	फरवरी, 2010
33	आई पी स्टेशन यूनिट	5	60.00	60.00	फरवरी, 2010
34	चंद्रपुरा टीपीएस	4	120.00	120.00	सितंबर, 2010
35	चंद्रपुरा टीपीएस	5	120.00	120.00	सितंबर, 2010
36	चंद्रपुरा टीपीएस	6	120.00	120.00	सितंबर, 2010
37	फरीदाबाद टीपीएस	3	60.00	60.00	सितंबर, 2010
38	उरन गैस पावर स्टेशन	1	60.00	60.00	नव.,2010
39	उरन गैस पावर स्टेशन	2	60.00	60.00	नव.,2010
40	उरन गैस पावर स्टेशन	3	60.00	60.00	नव.,2010
41	उरन गैस पावर स्टेशन	4	60.00	60.00	नव.,2010
42	धुवरन टीपीएस	5	110.00	110.00	फरवरी, 2011
43	धुवरन टीपीएस	6	110.00	110.00	फरवरी, 2011
44	भुसावल टीपीएस	1	50.00	50.00	जून, 2011
45	पारस टीपीएस	2	55.00	55.00	जून, 2011
46	पार्ली टीपीएस	1	20.00	20.00	जून, 2011
47	पार्ली टीपीएस	2	20.00	20.00	जून, 2011
48	बरौनी टीपीएस	4	50.00	50.00	मार्च, 2012
49	बरौनी टीपीएस	5	50.00	50.00	मार्च, 2012
50	हरदुआगंज टीपीएस	3	55.00	55.00	मार्च, 2012
	कुल			2398.00	

12वीं योजना के दौरान कार्यनिवृत्त की गई यूनिटें (31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	यूनिट सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कार्यनिवृत्त	में कार्यनिवृत्त की गई
1	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	1	30.00	30.00	मई, 2012
2	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	2	30.00	30.00	मई, 2012
3	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	6	94.00	94.00	जून, 2012
4	नासिक थर्मल पावर स्टेशन	1	125.00	125.00	जून, 2012
5	नासिक थर्मल पावर स्टेशन	2	125.00	125.00	जून, 2012
6	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	3	62.50	62.50	जनवरी, 2013
7	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	5	62.50	62.50	मई, 2013
8	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	2	62.50	62.50	मार्च, 2014
9	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	4	62.50	62.50	मार्च, 2014
10	सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	1	62.50	62.50	जुलाई, 2014
	कुल			716.50	

"विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 522 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्धारित अवधि से पीछे चल रही निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम/निष्पादन एजेंसी	राज्य	यूनिट सं.	क्षमता (मेगा वाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	व्यय रुपए करोड़ में	तिथि तक	देरी के कारण
केंद्रीय क्षेत्र									
बोंगाईगांव टीपीपी	असम	यू-1	250	जन.-11	जून-15	53	5042	फर.-15	निरंतर बंद, भारी वर्षा और धीमा सिविल कार्य। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वर्ष 2011-12 के दौरान हिंसा तथा स्थल से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य रुक गया। सिविल ठेकेदारों द्वारा खराब निष्पादन के कारण सिविल कार्य प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनका ठेका निरस्त कर दिया गया। शेष सिविल और संरचनात्मक कार्य 29.09.2014 को एनबीसीसी को दे दिए गए।
		यू-2	250	मई-11	दिसं.-16	67			
		यू-3	250	सितं.-11	मार्च-17	66			
बाढ़ एसटीपीपी-I	बिहार	यू-1	660	अक्टू.-13	अप्रैल-17	42	10650	फर.-15	पावर मशीन और टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, रूस के साथ एनटीपीसी के संविदात्मक विवाद के कारण विलंब। मूल अनुसूची 2009-10 एवं 2010-11 थी। वित्तीय दिक्कतों के कारण मैसर्स टीपीई द्वारा बायलर सामग्री एवं खरीदी जाने वाली मर्दों (बीओआई) की आपूर्ति में विलंब। मैसर्स टीपीई ने 10/13 को कार्य बंद कर दिया। एनटीपीसी द्वारा 14.01.2015 को मैसर्स टीपीई का करार समाप्त कर दिया। मैसर्स पावर मशीन द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और मंद प्रगति।
		यू-2	660	अप्रैल-14	दिसं.-17	44			
		यू-3	660	अक्टू.-14	जून-18	44			
मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	बिहार	यू-4	195	जन.-13	फर.-16	38	2807.61	मार्च-15	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य अवाई करने में विलंब। सिविल एजेंसी के खराब निष्पादन के कारण, सिविल कार्यों को पूरा करने में विलंब। भूमि अधिग्रहण में विलंब। कच्चा जल लाइन के लिए राइट ऑफ एप्रोच (आरओए) की उपलब्धता में विलंब। सीएचपी, एएचपी एवं स्विचयार्ड की तैयारी में विलंब।
नबीनगर टीपीपी	बिहार	यू-1	250	मई-13	दिसं.-15	31	4528.52	मार्च-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी मैसर्स ईआरए द्वारा धीमी गति से कार्य जिससे निर्माण एजेंसियों को सिविल फ्रंट सॉपने में विलंब हुआ। भेल द्वारा उपस्करों की आपूर्ति। गांववासियों द्वारा आन्दोलन। लोगों द्वारा मुआवजे को ग्रहण करने की अनिच्छा के कारण भूमि के कुछ टुकड़ों का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। सीएचपी वेंडर (टैकप्रो) द्वारा झेली जा रही वित्तीय कठिनाई।
		यू-2	250	सितं.-13	दिसं.-16	39			
		यू-3	250	जन.-14	जून-16	29			
		यू-4	250	मई-14	जून-17	37			
न्यू नबीनगर टीपीपी	बिहार	यू-1	660	जन.-17	जून-17	5	2960	फर.-15	शेष भूमि का अधिग्रहण तथा वासक्षेत्र स्वामियों का स्थान परिवर्तन, जो अभी भी परियोजना क्षेत्र में रह रहे हैं।
		यू-2	660	जुना.-17	सितं.-17	2			
		यू-3	660	जन.-18	जन.-18	0			

बोकारो टीपीएस "क" एक्सपें.	झारखण्ड	यू-1	500	दिसं.-11	मार्च-16	51	2840	मार्च-15	भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। स्विचयार्ड के स्थान परिवर्तन तथा भूमिगत सुविधाओं को हटाने में विलंब के कारण भेल को फ्रंट्स सौंपने में विलंब। मूल्य अंतर मुद्दों का समाधान करने में विलंब। सीएचपी तथा एनडीसीटी की तैयारी।
कुडगी एसटीपीपी फेज-I	कर्नाटक	यू-1	800	दिसं.-15	जुला.-16	7	7456	फर.-15	एसजी सिविल कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। टीजी निर्माण की शुरुआत में विलंब। 03/14 में एनजीटी आदेश के कारण कार्य बंदी। जनशक्ति के निष्क्रमण से 07/14 में आक्रोश और हिंसा तथा कार्य का बंद होना।
		यू-2	800	जून-16	दिसं.-16	6			
		यू-3	800	दिसं.-16	मई-17	5			
मौदा एसटीपीपी-II	महाराष्ट्र	यू-1	660	मार्च-16	अक्टू.-16	7	3651	फर.-15	मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी (आईवीआरसीएल) द्वारा कार्य की मंद प्रगति। आपूर्ति में विलंब तथा बाँयलर के स्थापना कार्यों में मंद प्रगति।
		यू-2	660	सितं.-16	अप्रैल-17	7			
सोलापुर एसटीपीपी	महाराष्ट्र	यू-1	660	मई-16	मई-17	12	4170	फर.-15	बीजीआर द्वारा एसजी आपूर्ति में विलंब। कच्चा पानी पाइपलाइन के लिए उपयोग के अधिकार (आरओयू) में विलंब। मैसर्स आईवीआरसीएल द्वारा सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
		यू-2	660	नवं.-16	नवं.-17	12			
विंध्यांचल टीपीपी फेज-V	मध्य प्रदेश	यू-13	500	अग.-15	अक्टू.-15	2	1614	फर.-15	बीओपी आदेश में विलंब। बाँयलर सामग्री के इरेक्शन में विलंब।
गदरवारा एसटीपीपी	मध्य प्रदेश	यू-1	800	मार्च-17	जून-17	3	2489	फर.-15	शेष भूमि अधिग्रहण और शेष बीओपी के ऑर्डर में विलंब। ग्रामीणों द्वारा आंदोलन के कारण सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब।
		यू-2	800	सितं.-17	नवं.-17	2			
तूतीकोरिन जेवी	तमिलनाडु	यू-2	500	अग.-12	जुला.-15	35	6115.57	मार्च-15	मुख्य संयंत्र उपस्करों के बुनियादी डिजाइन में परिवर्तन। सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। जनशक्ति की कमी। पेय जल की उपलब्धता और विद्युत आपूर्ति में विलंब। वैधानिक स्वीकृतियां (वन्य जीव, वन स्वीकृति इत्यादि) प्राप्त होने में विलंब।
मोनाचक सीसीपीपी	त्रिपुरा	एसटी	35.6	जुला.-13	जुला.-15	24	898.22	मार्च-15	सिविल कार्य संविदा के अवार्ड में और भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब। भारी वर्षा। गैस पाइपलाइन और गैस गैदरिंग स्टेशन तैयारी में विलंब। डीएम प्लांट, पीटी, सीटी, सीडब्ल्यू सिस्टम आदि की तैयारी में विलंब।
अगरतला डब्ल्यूएचआर	त्रिपुरा	एसटी-I	25.5	दिसं.-14	जून-15	6	300.61	फर.-15	भारी वर्षा के कारण सिविल फ्रंट्स की तैयारी में विलंब। सामग्री की आपूर्ति एवं उत्थान में विलंब।
							2 यूनिटों का व्यय		
उंचाहार स्टे- IV	उत्तर प्रदेश	यू-6	500	दिसं.-16	नवं.-17	11	368	फर.-15	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य पैकेज और बीओपी अवार्ड करने में विलंब।
मेजा एसटीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	जून-16	मई-17	10	2721.78	फर.-15	मैसर्स बीजीआर द्वारा बाँयलर सामग्री की आपूर्ति में विलंब। मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।
		यू-2	660	दिसं.-16	नवं.-17	11			
रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	पश्चिम बंगाल	यू-2	600	मई-11	दिसं.-15	56	7335	मार्च-15	यूनिट-I के चालू होने में विलंब। जल और रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। आरआईएल द्वारा मुख्य संयंत्र उपस्करों के इरेक्शन में विलंब। कानून एवं व्यवस्था की समस्या। स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार कार्यबंदी। बॉटम रिंग हेडर को बदलना। बाँयलर इंसुलेशन तथा एनडीसीटी-I की क्षति के कारण विलंब।
रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II	पश्चिम बंगाल	यू-3	660	अग.-17	सितं.-18	13	554	मार्च-15	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों को शुरू करने में विलंब।
		यू-4	660	जन.-18	मार्च-19	14			
कुल केंद्रीय क्षेत्र		34	17846.1						
* संशोधित समय									
राज्य क्षेत्र									
रायलसीमा टीपीपी स्टे -III	आंध्र प्रदेश	यू-6	600	जुला.-14	दिसं.-16	29	2228.77	मार्च-15	सिविल एवं भूमि अधिग्रहण कार्य को प्रारंभ करने और पूरा करने में विलंब। बीओपी कार्यों में विलंब।

नामरूप सीसीजीटी	असम	जीटी	70	सितं.-11	मार्च-16	54	329.1	दिसं.-14	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलंब और सिविल कार्यों की मंद प्रगति, सिविल ठेकेदारों की सेवा समाप्त। खराब मृदा तथा भारी वर्षा। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब और दक्ष जनशक्ति की कमी। एनबीपीएल आदेश की समाप्ति। सिविल तथा इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन एजेंसी के रि-अवार्ड में विलंब।
		एसटी	30	जन.-12	जून-16	53			
बरोनी टीपीएस एस्टें.	बिहार	यू-1	250	मई-14	फर.-16	21	3354	मार्च-15	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब। सीटी, सीडब्ल्यू प्रणाली आदि की तैयारी में विलंब तथा इंटेक पम्प हाउस, कच्चा पानी लाइन आदि के लिए शेष भूमि के अधिग्रहण में विलंब।
		यू-2	250	जुला.-14	जून-16	23			
मारवा टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-2	500	जुला.-12	जुला.-15	36	6684.06	फर.-15	आरम्भिक विलंब चिमनी अवार्ड किए जाने में परिवर्तन के कारण हुआ था। बीओपी (सीएचपी, एएचपी और 400 केवी स्विचयार्ड आदि) की तैयारी में विलंब और कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, सामग्री आदि की चोरी। मैसर्स बीजीआर द्वारा जनशक्ति की कमी।
सिक्का टीपीपी एक्सटें.	गुजरात	यू-4	250	जन.-14	दिसं.-15	23	2823.97	फर.-15	सिविल फ्रण्ट्स की तैयारी तथा बीओपी आदेश देने में विलंब। बॉयलर एण्ड टीजी की स्थापना में धीमी प्रगति। बीओपी विशेष रूप से सीएचपी तथा एएचपी में धीमी प्रगति। बीटीजी स्थापना एजेंसी में परिवर्तन। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
							2 यूनिटों का व्यय		
भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	गुजरात	यू-1	250	अक्तू.-13	अग.-15	22	3622.15	फर.-15	सिविल कार्य में विलंब तथा गैर-क्रमिक आपूर्ति। बीओपी में धीमी प्रगति। एएचपी तथा लिग्नाइट हैंडलिंग संयंत्र की तैयारी में विलंब। कच्चा पानी की उपलब्धता में विलंब।
		यू-2	250	दिसं.-13	नव.-15	23			
बेल्लारी टीपीएस	कर्नाटक	यू-3	700	अग.-14	नव.-15	15	4045.69	मार्च-15	मुख्य संयंत्र और बीओपी के लिए सिविल संविदा अवार्ड करने में विलंब। एएचपी विक्रेता और भेल के बीच विवाद। एलपी रोटार की आपूर्ति में विलंब।
येरमारस टीपीपी	कर्नाटक	यू-1	800	अप्रैल-14	दिसं.-15	20	9008.48	मार्च-15	मार्सलिंग यार्ड के ओरियंटेशन में परिवर्तन, प्लॉट योजना में परिवर्तन और विशिष्ट क्षेत्रों में अतिरिक्त मृदा जांच और तृतीय पक्ष के निरीक्षण के कारण मृदा जांच की पुनरावृत्ति।
		यू-2	800	अक्तू.-14	अप्रैल-16	18			
चंद्रपुर टीपीएस	महाराष्ट्र	यू-9	500	सितं.-12	अग.-15	35	5947	मार्च-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब और मुख्य संयंत्र उपकरण आपूर्ति में विलंब। बीओपी की तैयारी में विलंब और भारी वर्षा।
कोराड़ी टीपीपी एक्सपें.	महाराष्ट्र	यू-9	660	जून-14	जुला.-15	13	11764.23	मार्च-15	सिविल कार्यों में विलंब। भारी वर्षा के कारण कार्य की प्रगति में विलंब। वित्तीय संकट के कारण मैसर्स लेंको इंफ्राटेक द्वारा बीओपी (कूलिंग टावर, एएचपी, सीएचपी इत्यादि) की तैयारी में विलंब।
		यू-10	660	दिसं.-14	फर.-16	14	3 यूनिटों का व्यय		
पार्ली टीपीपी एक्सपें.	महाराष्ट्र	यू-8	250	जन.-12	अक्तू.-15	45	1669.85	मार्च-15	बीओपी आदेश देने में विलंब। बीटीजी आपूर्ति में विलंब। रेखाचित्रों के अनुमोदन में विलंब। धीमा निर्माण कार्य। बीओपी में धीमी प्रगति। मैसर्स सुनील हाइटेक के साथ वाणिज्यिक विवाद के कारण बीओपी की मंद प्रगति।
कालीसिंध टीपीएस	राजस्थान	यू-2	600	मार्च-12	मई-15	38	8521.77	मार्च-15	बंकरों और कोयला मिलों की तैयारी में विलंब तथा मैसर्स बीजीआर द्वारा शेष सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
							2 यूनिटों का व्यय		
छाबड़ा एसटीपीपी	राजस्थान	यू-5	660	जून-16	अप्रैल-17	10	1621.77	मार्च-15	बॉयलर इरेक्शन के कारण धीमी प्रगति।
		यू-6	660	सितं.-16	दिसं.-18	27			
सूरतगढ़ एसटीपीपी	राजस्थान	यू-7	660	सितं.-16	अप्रैल-17	7	2172.59	मार्च-15	राइट्स से मार्शलिंग यार्ड समन्वय मिलने में विलंब, जनशक्ति की कमी।
		यू-8	660	दिसं.-16	जुला.-17	7			
काकातिया	तेलंगाना	यू-1	600	जुला.-12	नव.-15	40	2705.04	फर.-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब तथा बीओपी ठेकेदार

टीपीपी एक्सटें.									संघ लीडर के बदलने के कारण विलंब। भेल द्वारा स्थापना एजेंसी के अवाई में विलंब। टैकप्रो द्वारा सिविल फ्रंट सौंपने में विलंब। कच्चा पानी जलाशय के लिए स्थान को अंतिम रूप में देने में विलंब।
सिंगरैनी टीपीपी	तेलंगाना	यू-1	600	फर.-15	जन.-16	11	5350	मार्च-15	बीओपी ऑर्डर देने में विलंब।
		यू-2	600	जून-15	मार्च-16	9			
अनपरा-डी	उत्तर प्रदेश	यू-6	500	मार्च-11	जून-15	51	5455.63	मार्च-15	बीओपी के लिए ऑर्डर देने में विलंब। फायर फाइटिंग कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति। भेल द्वारा अपर्याप्त जनशक्ति परिनियोजन। एएचपी, सीडब्ल्यू एवं एफओ प्रणाली में कार्य की धीमी प्रगति।
		यू-7	500	जून-11	सितं.-15	51			
सागरदीघी टीपीपी-II	पश्चिम बंगाल	यू-3	500	जुला.-14	सितं.-15	14	3206.15	फर.-15	निर्माण और बीटीजी सामग्री की आपूर्ति की धीमी प्रगति। इलेक्ट्रिकल इरेक्शन कार्य के लिए ऑर्डर देने में विलंब। ठेका समाप्त करने तथा पुनः अवाई देने के कारण एएचपी की तैयारी में विलंब।
		यू-4	500	अक्टू.-14	मार्च-16	17			
कुल राज्य क्षेत्र		28	13860						
निजी क्षेत्र									
भावनापडु टीपीपी फेज-I	आंध्र प्रदेश	यू-1	660	अक्टू.-13	मई-17	43	3257.2	मार्च-15	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण कार्य लंबे समय तक रुका रहा। कार्य पुनः प्रारंभ करने के पश्चात दो चक्रवर्तों के कारण कार्य प्रभावित हुआ। राज्य विभाजन के विरुद्ध आन्दोलन। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कार्य की मंद प्रगति।
		यू-2	660	मार्च-14	अक्टू.-17	43			
एनसीसी टीपीपी	आंध्र प्रदेश	यू-1	660	मार्च-15	जून-16	15	6367.43	मार्च-15	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा मंद प्रगति के कारण विलंब। वित्तीय कठिनाई के कारण सामग्री आपूर्ति एवं इरेक्शन में विलंब।
		यू-2	660	जून-15	नव.-16	17			
पैनमपुरम टीपीपी	आंध्र प्रदेश	यू-2	660	अग.-14	जुला.-15	11	9438.27	फर.-15	टीजीटी सिविल कार्य की शुरुआत में विलंब। भूमि संबंधी मामले के कारण नींव डिजाइन में परिवर्तन के कारण विलंब।
धम्मिनापडुनाम टीपीपी स्टेज -II	आंध्र प्रदेश	यू-3	350	मई-12	अग.-16	51	2481.914	मार्च-15	सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कार्य लंबे समय तक बंद रहा।
		यू-4	350	अग.-12	नव.-16	51			
विजग टीपीपी	आंध्र प्रदेश	यू-1	520	जून-13	सितं.-15	27	6343.57	फर.-15	विद्युत शुरू करने के लिए पारेषण लाइन के तैयार होने में विलंब। सिविल कार्यों, समुद्री जल इंटेक और आउट फॉल प्रणाली सीएचपी इत्यादि की प्रगति में विलंब रेलवे लाइन तैयार करने में विलंब। तूफान के कारण हुई क्षति के कारण विलंब
		यू-2	520	सितं.-13	दिसं.-15	27			
अकलतारा टीपीपी (नैयारा)	छत्तीसगढ़	यू-3	600	दिसं.-12	जून-16	42	15441	दिसं.-14	जनशक्ति की कमी, ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा आंदोलन। निधि संबंधी बाधाओं के कारण सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
		यू-4	600	अप्रैल-13	मार्च-17	47			
		यू-5	600	अग.-13	दिसं.-17	52			
		यू-6	600	दिसं.-13	मार्च-18	51			
						6 यूनिटों का व्यय			
बाल्को टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	300	फर.-11	जून-15	52	3965	जन.-15	चिमनी का ढहना। राज्य सरकार द्वारा प्रचालन के लिए सहमति देने में विलंब।
		यू-2	300	नव.-10	सितं.-15	58			
बंदाखार टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	300	दिसं.-12	मई-15	29	1513	जन.-15	सिविल कार्यों को शुरू करने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित हुआ। सीएचपी/एएचपी तैयार करने में विलंब और जेनरेटर स्टार्टर की समस्या।
बिंजकोट टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	300	अग.-13	दिसं.-15	28	3717.05	मार्च-15	सिविल कार्यों में विलंब। बॉयलर ड्रम की आपूर्ति में विलंब। एसटीजी निर्माण एजेंसियों में परिवर्तन के कारण बॉयलर एवं टीजी के लिए निर्माण कार्य बंद होने के कारण विलंब।
		यू-2	300	नव.-13	मार्च-16	28			

रायखेड़ा टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-2	685	जन.-14	जुला.-15	18	9626.09	जन.-15	सिविल कार्यों के शुरु होने में विलंब। वित्तीय समस्याओं के कारण कभी-कभी विभिन्न कार्यों की प्रगति प्रभावित हुई।	
							2 यूनिटों का व्यय			
सिंघीतराई टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	600	जून-14	मार्च-16	21	4734.26	फर.-15	भूमि अधिग्रहण में विलंब। बाँयलर एवं टीजी निर्माण की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्याओं के कारण विलंब।	
		यू-2	600	सितं.-14	अग.-16	23				
टीआरएन एनर्जी टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	300	दिसं.-13	अप्रैल-16	28	2292	सितं.-14	सिविल कार्यों की शुरुआत में विलंब। बाँयलर एवं टीजी निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति। जनशक्ति की कमी।	
		यू-2	300	अप्रैल-14	मार्च-17	35				
उंचपिंडा टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-1	360	मई-12	जून-15	37	9249.15	फर.-15	ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य प्रभावित हुआ। साइट पर कार्य की धीमी प्रगति। बीओपी तैयार करने में विलंब। विद्युत स्टार्ट अप तैयार करने में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण विलंब।	
		यू-2	360	नव.-12	अग.-15	33				
		यू-3	360	फर.-13	दिसं.-15	34				
		यू-4	360	जुला.-13	मई-16	34				
सलोरा टीपीपी	छत्तीसगढ़	यू-2	135	सितं.-11	जुला.-15	46	2386.89	मार्च-15	यूनिट-1 को चालू करने में विलंब। ग्रामीणों द्वारा साइट पर विरोध। बीटीजी और सीएचपी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। चालू करने के कार्यों में बीटीजी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सहयोग न करना।	
तोरी टीपीपी	झारखण्ड	यू-1	600	जून-13	दिसं.-17	54	3761.82	फर.-15	कानून व व्यवस्था की समस्या। सिविल कार्य की शुरुआत में विलंब एवं कार्य की धीमी प्रगति। यूनिट-1 के लिए एमओईएफ स्वीकृति में विलंब। पूर्व में आवंटित कोयला ब्लॉकों के रद्द होने के बाद कार्य रोक दिया गया।	
		यू-2	600	जन.-15	जून-18	41				
नासिक टीपीपी फेज-1	महाराष्ट्र	यू-2	270	अप्रैल-12	सितं.-15	41	6364.71	फर.-15	रेलवे साइडिंग तैयार करने में विलंब। बीटीजी सामग्री की क्रमरहित आपूर्ति एवं सिविल फ्रंट की तैयारी। भेल के साथ भुगतान का मामला। मिलों, एचएफओ, सीएचपी एवं एएचपी, डकिंटिंग इंसुलेशन आदि की तैयारी।	
		यू-3	270	जून-12	जून-17	60				5 यूनिटों का व्यय
		यू-4	270	अग.-12	नव.-17	63				
		यू-5	270	अक्टू.-12	मार्च-18	65				
अनूपपुर टीपीपी फेज -1	मध्य प्रदेश	यू-2	600	अग.-13	फर.-16	30	7300	फर.-15	सिविल कार्यों शुरु करने में विलंब एवं धीमी प्रगति। इम की आपूर्ति में विलंब। बाँयलर एवं ईएसपी के इंसुलेशन की तैयारी।	
महान टीपीपी	मध्य प्रदेश	यू-2	600	सितं.-11	जून-16	57	7192.58	फर.-15	कोयला ब्लॉक/कोयला लिंकेज उपलब्ध न होने के कारण अत्यधिक धीमी प्रगति।	
							2 यूनिटों का व्यय			
सिओनी टीपीपी फेज-1	मध्य प्रदेश	यू-1	600	मार्च-13	मार्च-16	36	3773.19	जन.-15	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब। चिमनी की तैयारी। वित्तीय समस्या के कारण बाँयलर और टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। वर्तमान में साइट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है।	
निवारी टीपीपी	मध्य प्रदेश	यू-2	45	मई-14	मार्च-16	22	290	सितं.-14	साइट पर कार्य बंद होने के कारण विलंब।	
इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	ओडिशा	यू-1	350	सितं.-11	जून-15	45	3968	मार्च-15	भारी बारिश के कारण विलंब। विद्युत स्टार्ट अप के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलंब।	
		यू-2	350	दिसं.-11	नव.-15	47				
मली ब्राह्मणी टीपीपी	ओडिशा	यू-1	525	दिसं.-12	अग.-16	44	5329.75	सितं.-14	भूमि अधिग्रहण में विलंब और टीजी हॉल संरचनाओं की आपूर्ति में विलंब। वित्तीय समस्या के कारण धीमी प्रगति।	
		यू-2	525	फर.-13	दिसं.-16	46				
तलवंडी साबो टीपीपी	पंजाब	यू-2	660	जन.-13	मई-15	28	9447.07	मार्च-15	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलंब। जनशक्ति की कमी के कारण एएचपी, चिमनी, मिल, क्लिंग टॉवर की तैयारी में विलंब। भारी बारिश के कारण बाँयलर इंसुलेशन कार्य में विलंब हुआ।	
		यू-3	660	मई-13	अग.-15	27				3 यूनिटों का व्यय

मेलामरुथुर टीपीपी	तमिलनाडु	यू-2	600	मार्च-12	सितं.-15	42	5710.91	मार्च-15	मुख्य संयंत्र उपस्कर की आपूर्ति में विलंब। जनशक्ति की कमी एवं स्विच यार्ड तथा डीएन संयंत्र की तैयारी के कारण विलंब। रेत की आपूर्ति के लिए और भूमिगत जल के उपयोग हेतु नीति में परिवर्तन। बैंकरों द्वारा अतिरिक्त ऋण के संवितरण में विलंब।
							2 यूनिटों का व्यय		
तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	तमिलनाडु	यू-1	660	मई-12	सितं.-17	64	1500	मार्च-15	सिविल कार्यों की देर से शुरुआत और धीमी प्रगति तथा स्थल पर बॉयलर संरचनात्मक सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
प्रयागराज (बारा) टीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	फर.-14	अग.-15	18	11540.39	मार्च-15	बीटीजी आपूर्ति में विलंब। विद्युत स्टार्ट अप के लिए रॉ वॉटर पाइप लाइन की तैयारी और पारेषण लाइन की तैयारी। वित्तीय समस्याओं के कारण साइट पर कार्य की प्रगति में विलंब हुआ।
		यू-2	660	जुला.-14	जन.-16	18			
		यू-3	660	दिसं.-14	मई-16	17			
ललितपुर टीपीपी	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	अक्तू.-14	जून-15	8	12546.25	मार्च-15	भारी बारिश के कारण विलंब, टीजी इरेक्शन शुरु करने में विलंब, बॉयलर इंसुलेशन और ईंधन तेल प्रणाली की तैयारी इत्यादी में विलंब। वित्तीय समस्याएं।
		यू-2	660	फर.-15	दिसं.-15	10			
		यू-3	660	जून-15	सितं.-16	15			
कुल निजी क्षेत्र		52	25415						
सकल योग		114	57121.1						

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-528

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

*528. श्री विक्रम उर्सेडी:

डॉ. बंशीलाल महतो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अभी भी बड़ी संख्या में गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपयोग में लायी गई;
- (ग) कृषि प्रयोजनों के लिए किसानों को कितनी अवधि के लिए विद्युत आपूर्ति राज्य-वार उपलब्ध करायी जा रही है;
- (घ) क्या कतिपय राज्य ग्रामीण फीडर पृथक्करण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता और गुणवत्ता को सुधारने में उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 528 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का निर्माण करने के लिए अप्रैल, 2005 में पूर्व की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की थी। अब तक, 10वीं, 11वीं तथा 12वीं योजना के दौरान देश में 921 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, 1.10 लाख गैर विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण के कार्य और 3.15 लाख गांवों में गहन विद्युतीकरण के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-1 में हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में 43033 करोड़ रुपए के परिव्यय से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है। पूर्व की आरजीजीवीवाई को इस योजना के आरई घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में मिला दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, जनसंख्या के मानदंड पर ध्यान दिए बिना सभी गैर विद्युतीकृत गांवों / वासस्थलों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण हेतु शामिल किया जा सकता है।

इस स्कीम के तहत, गांवों/घरों के विद्युतीकरण से संबंधित 8853.12 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं।

(ख) : विगत 3 वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई सहित पूर्व की आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और संवितरित पूंजीगत सब्सिडी का ब्यौरा इस प्रकार है:

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	निधियों का आवंटन	जारी की गई निधि
1.	2012-13	2492.02	697.94
2.	2013-14	3137.65	2938.52
3.	2014-15	3386.38	3374.41

(ग) : कृषि प्रयोजन के लिए किसानों को विद्युत आपूर्ति की अवधि से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत आपूर्ति राज्यों के बीच भिन्न-भिन्न होती है। माह फरवरी, 2015 के लिए औसत विद्युत आपूर्ति के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-॥ में हैं।

(घ) और (ङ) : आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान अपने-अपने राज्यों की स्कीमों के अंतर्गत ग्रामीण फीडर पृथक्करण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं।

हाल ही में, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर पृथक्करण और उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में फीडर पृथक्करण के लिए अब तक 2845.96 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं।

अनुबंध-1

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 528 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पूर्व की आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए गैर-विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार कवरेज और उपलब्धि तथा विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओंकी संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव			गहन विद्युतीकृत गांव		
			कवरेज	उपलब्धि	शेष	कवरेज	उपलब्धि	शेष
1	आंध्र प्रदेश*	16	0	0	0	16114	16114	0
2	अरुणाचल प्रदेश	16	2089	2089	0	1306	1306	0
3	असम	39	9358	8328	1030	23111	12852	10259
4	बिहार	81	27015	23253	3762	40453	7819	32634
5	छत्तीसगढ़	22	1734	1302	432	19327	15337	3990
6	गुजरात*	25	0	0	0	16144	16144	0
7	हरियाणा*	21	0	0	0	5762	5137	625
8	हिमाचल प्रदेश	12	90	89	1	7896	7896	0
9	जम्मू एवं कश्मीर	17	283	212	71	3267	2905	362
10	झारखंड	39	18746	18294	452	24358	6050	18308
11	कर्नाटक	36	55	54	1	33103	23726	9377
12	केरल*	14	0	0	0	1166	1109	57
13	मध्य प्रदेश	86	1300	780	520	74236	33092	41144
14	महाराष्ट्र*	35	0	0	0	36462	36146	316
15	मणिपुर	15	1087	808	279	2968	1322	1646
16	मेघालय	7	1867	1841	26	3090	2938	152
17	मिजोरम	16	170	154	16	517	517	0
18	नागालैंड	22	138	102	36	1949	1152	797
19	ओडिशा	63	17524	14380	3144	68214	26767	41447
20	पंजाब*	17	0	0	0	6297	6297	0
21	राजस्थान	68	4163	4162	1	58615	33218	25397
22	सिक्किम	12	25	25	0	413	405	8
23	तमिलनाडु*	29	0	0	0	10402	9673	729
24	तेलंगाना*	10	0	0	0	9176	9176	0
25	त्रिपुरा	4	170	144	26	1430	652	778
26	उत्तर प्रदेश	150	29278	27808	1470	90460	3533	86927
27	उत्तराखंड	13	1514	1514	0	10090	10090	0
28	पश्चिम बंगाल	36	4198	4185	13	29557	23585	5972
	कुल	921	120804	109524	11280	595883	314958	280925

* आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एवं तेलंगाना राज्यों में, इन राज्यों द्वारा डीपीआर में कोई गैर-विद्युतीकृत गांव का प्रस्ताव नहीं किया गया था। तथापि, इन राज्यों में पहले से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण शुरू किये जा रहे हैं।

अनुबंध-II

"गांवों का विद्युतीकरण" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 528 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

माह फरवरी, 2015 के दौरान राज्य-वार औसत विद्युत आपूर्ति

क्रम सं.	राज्य	विद्युत आपूर्ति के औसत घंटे
1	अरुणचाल प्रदेश	14
2	आंध्र प्रदेश	22
3	असम	18
4	बिहार	14
5	छत्तीसगढ़	23
6	गुजरात	23
7	हरियाणा	11
8	हिमाचल प्रदेश	23
9	जम्मू एवं कश्मीर	17
10	झारखण्ड	13
11	कर्नाटक	17
12	केरल	23
13	मध्य प्रदेश	21
14	महाराष्ट्र	23
15	मणिपुर	15
16	मेघालय	15
17	मिजोरम	20
18	नागालैंड	14
19	ओडिशा	19
20	पंजाब	22
21	राजस्थान	19
22	सिक्किम	22
23	तमिलनाडु	23
24	तेलंगाना	18
25	त्रिपुरा	21
26	उत्तर प्रदेश	10
27	उत्तराखण्ड	20
28	पश्चिम बंगाल	20

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारकित प्रश्न संख्या-531

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं

*531. श्री एम. मुरली मोहन:

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से नये अनुरोध प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्राप्त और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विद्यमान और प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमियां पायी गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 531 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : अब तक चार यूएमपीपी, अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम और झारखंड में तिलैया, सफल बोलीदाताओं को अवार्ड की जा चुकी हैं। मुंद्रा तथा सासन यूएमपीपी पूरी तरह चालू हो चुकी हैं। अवार्ड की गई यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-1 में दी गई है। अन्य अभिज्ञात यूएमपीपी की स्थिति अनुबंध-11 में है।

(ग) : इन यूएमपीपी में से प्रत्येक की संस्थापित क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है।

(घ) : तिलैया यूएमपीपी तथा कृष्णापटनम यूएमपीपी अनुबंध-1 में दिए गए कारणों से प्रचालनरत नहीं हैं। कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (थर्मल), सीईए की अध्यक्षता और मेजबान राज्य के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की सह-अध्यक्षता में एक संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) गठित की गई है।

"अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 531 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावड में मुंद्रा	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 24.04.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 29 जनवरी, 2008 को अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम को देखते हुए कार्यस्थल पर काम रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड में तिलैया गाँव के निकट	परियोजना अवार्ड की गई और मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को 07 अगस्त, 2009 को अंतरित की गई। कुल भूमि में से राज्य सरकार द्वारा 470 एकड़ (विद्युत संयंत्र के लिए 186 एकड़ और ऐश डाइक के लिए 284 एकड़) निजी भूमि अधिग्रहीत की गई है। विकासकर्ता को वास्तविक कब्जा अभी दिया जाना है।

"अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 531 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अन्य चिन्हित यूएमपीपी की स्थिति

क्रम सं.	यूएमपीपी	स्थान	स्थिति
ओडिशा			
1.	बेडाबहल	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	बोली रद्द कर दी गई है और नई बोली वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।
2.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल चिन्हित किया गया है।
3.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल चिन्हित किया गया है।
छत्तीसगढ़			
4.	छत्तीसगढ़	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	मार्च, 2010 में आरएफक्यू जारी किया गया और कोयला ब्लॉक अलंघनीय क्षेत्रों में होने के कारण अक्टूबर, 2013 में वापस ले लिया गया। अब, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
तमिलनाडु			
5.	तमिलनाडु	गांव चेंच्यूर, जिला कांचीपुरम	बोली रद्द कर दी गई है और नई बोली वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।
6.	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--
झारखण्ड			
7.	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी	देवघर जिले में, हुसैनाबाद	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
गुजरात			
8.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	--	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
कर्नाटक			
9.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलूर तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिले के निदोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर तालुका के निदोडी गाँव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।
महाराष्ट्र			
10.	महाराष्ट्र	--	स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण स्थल का निर्धारण नहीं हो सका।
बिहार			
11.	बिहार	बांका जिले में ककवारा	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
उत्तर प्रदेश			
12.	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए तथा पीएफसी के अधिकारियों के एक दल ने स्थलों का दौरा किया। सीईए ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्थल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारकित प्रश्न संख्या-532

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

दामोदर घाटी निगम की विद्युत परियोजनाएं

*532. श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत उत्पादन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या दामोदर घाटी निगम के विद्युत संयंत्र विद्युत की लक्षित मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम हैं;
- (ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया और इसके वितरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
- (घ) क्या इन संयंत्रों में विद्युत के वितरण और राख की टुलाई के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"दामोदर घाटी निगम की विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 532 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के चौथे परंतुक के अनुसार, डीवीसी एक मान्य लाइसेंसी है और यह अपने समीपवर्ती दो राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के अंतर्गत आने वाले अपने कमान क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कर सकता है। तदनुसार, डीवीसी इस कमान क्षेत्र में अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के कमान क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बिजली की माँग को पूरा करने के पश्चात, डीवीसी खुली पहुँच के माध्यम से भी लाभार्थियों को विद्युत की आपूर्ति करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन/वितरण सहित विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-1 और अनुबंध-॥ में दिए गए हैं।

(घ) : जी, नहीं ।

(ङ) : उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-1

"दामोदर घाटी निगम की विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 532 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत का प्रकार	परियोजना	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)	उत्पादन (एमयू)	उत्पादन (एमयू)
			वित्तीय वर्ष 12-13	वित्तीय वर्ष 13-14	वित्तीय वर्ष 14-15
थर्मल	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन (एमटीपीएस)	2340 मेगावाट (4x210+2x250 +2x500 मेगावाट)	12341.0	13179.5	11638.8
	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन-बी (बीटीपीएस 'बी')	630 मेगावाट (3x210 मेगावाट)	3107.0	1737.7	1634.4
	चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन (सीटीपीएस)	890 मेगावाट (3x130 + 2x250 मेगावाट)	5548.3	4831.2	4976.7
	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन (डीटीपीएस)	350 मेगावाट (1x140 +1x210 मेगावाट)	2054.8	1878.8	1302.0
	दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन (डीएसटीपीएस)	1000 मेगावाट (2x500 मेगावाट)	2405.3	4429.3	3862.7
	कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (केटीपीएस)	1000 मेगावाट (2X500 मेगावाट)	---	1501.0	1822.8
	रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस फेज-I)	1200 मेगावाट (2x600 मेगावाट)			
	रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (आरटीपीएस फेज-II)	1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट)			
	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन-ए (बीटीपीएस 'ए')	500 मेगावाट (1x500 मेगावाट)			
हाइडल	मैथॉन हाइडल स्टेशन	63.2 मेगावाट (2x20 मेगावाट +1x23.2 मेगावाट)	88.682	97.926	137.2671
	पंचेट हाइडल स्टेशन	80 मेगावाट (2x40 मेगावाट)	110.657	127.696	129.142
	तिलैया हाइडल स्टेशन	4 मेगावाट (2x2 मेगावाट)	4.148	4.677	9.595

अनुबंध-II

"दामोदर घाटी निगम की विद्युत परियोजनाएं" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 532 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पश्चिम बंगाल और झारखण्ड के कमान क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विद्युत मांग को पूरा करने के पश्चात डीवीसी खुली पहुँच के माध्यम से अन्य लाभार्थियों को विद्युत आपूर्ति भी कर सकता है

वित्तीय वर्ष	कुल उत्पादन एमयू में	कुल उत्पादन के % रूप में पश्चिम बंगाल को विद्युत	कुल उत्पादन के % रूप में झारखण्ड को विद्युत	कुल उत्पादन के % रूप में अन्य लाभार्थियों को विद्युत
2012-13	25456.0	27%	35%	38%
2013-14	27557.0	26%	35%	39%
2014-15	25237.0	28%	39%	33%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-536

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र हेतु आवश्यक निवेश

*536. श्री महेश गिरी:

श्री अजय मिश्रा टेनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुल कितने निवेश का आकलन किया गया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ख) क्या 11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान सरकारी/निजी निवेश से स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर ली गई है और धनराशि उपयोग में लायी जा चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार द्वारा 12वीं और 13वीं योजना के लिए विद्युत पारेषण पर होने वाले प्रस्तावित व्यय का आकलन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"विद्युत क्षेत्र हेतु आवश्यक निवेश" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारकित प्रश्न संख्या 536 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण सहित फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों के संवर्द्धन तथा मीटरिंग के लिए 43033 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के संवर्द्धन तथा मीटरिंग के लिए 32612 करोड़ रुपए के परिव्यय से एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) का भी अनुमोदन किया है।

(ख) : केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं के लिए क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा 11वीं योजना के लिए नीचे तालिका 1 में और 12वीं योजना के लिए तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका-1

11वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्यों / उपलब्धियों का क्षेत्र वार ब्यौरा						
क्षेत्र वार	थर्मल		हाइड्रो		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केन्द्रीय	24840	12790	8654	1550	33494	14340
राज्य	23301	14030.4	3482	2702	26783	16732.4
निजी	11552	21719.5	3491	1292	15043	23011.5
कुल	59693	48539.9	15627	5544	75320	54083.9

तालिका-2

12वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्यों / उपलब्धियों का क्षेत्र वार ब्यौरा (24.04.2015 की स्थिति के अनुसार)						
क्षेत्र वार	थर्मल		हाइड्रो		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
केन्द्रीय	14877.6	9342.5	6004	2224.1	20881.6	11566.6
राज्य	13922	12119.1	1608	102	15530	12221.1
निजी	43540	36857.5	3285	334	46825	37191.5
कुल	72339.6	58319.1	10897	2660.1	83236.6	60979.2

(ग) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत के पारेषण पर किए जाने वाले व्यय का आकलन 1,92,606.42 करोड़ रुपए किया गया है। राज्य वार ब्यौरा अनुबंध में है। 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत के पारेषण पर किए जाने वाले व्यय का आकलन अभी नहीं किया गया है।

"विद्युत क्षेत्र हेतु आवश्यक निवेश" के बारे में लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 536 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पारेषण स्कीमों (12वीं योजना) के लिए राज्य-वार अपेक्षित निधि

(220 केवी और उससे अधिक)

(सभी आंकड़े रुपए करोड़ में)		
क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	पारेषण कार्य
		कुल
I	केंद्रीय क्षेत्र	
	पीजीसीआईएल	102034.00
	डीवीसी	1126.78
	कुल केंद्रीय क्षेत्र	103160.78
II	राज्य क्षेत्र	
क.	उत्तरी क्षेत्र	
1	डीटीएल	1151.19
2	एचपीपीटीसीएल	1627.00
3	एचवीपीएनएल	1888.97
4	पीडीडी, जे एंड के	456.49
5	पीएसटीसीएल	2813.04
6	आरआरवीपीएनएल	10437.41
7	यूपीपीटीसीएल	6798.00
8	उत्तराखण्ड	1162.34
ख.	पश्चिमी क्षेत्र	
1	सीएसपीटीसीएल	1135.46
2	जीईटीसीओ	6064.00
3	गोवा	142.01
4	एमपीपीटीसीएल	2677.53
5	एमएसईटीसीएल	6387.00
ग.	दक्षिणी क्षेत्र	
1	एपी ट्रांसको	11817.30
2	केपीटीसीएल	7629.77
3	केएसईबी	1738.21
4	टीएएन ट्रांसको	12542.89
घ.	पूर्वी क्षेत्र	
1	बीपीटीसीएल	लागू नहीं
2	ओपीटीसीएल	4930.38
3	जेएसईबी	लागू नहीं
4	डब्ल्यूबीएसईटीसीएल	5467.50
5	सिक्किम	लागू नहीं
ङ.	एन.ई. क्षेत्र	
1	अरुणाचल प्रदेश	लागू नहीं
2	एसईबी	1682.02
3	मणिपुर	लागू नहीं
4	मिजोरम	421.95
5	नागालैंड	लागू नहीं
6	त्रिपुरा	475.18
	कुल अखिल भारत	192606.42

•- 132 केवी भी शामिल

संबंधित यूटिलिटी द्वारा जुलाई, 2014 तक संशोधित डाटा

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-5993

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

टीएचडीसी के अन्तर्गत परियोजनाएं

5993. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (टीएचडीसी) के अन्तर्गत चल रही टिहरी/हाइडल पावर परियोजना के प्रथम/द्वितीय चरण की स्थिति क्या है और इन चरणों पर कितना खर्च हुआ/खर्च किया जाना अनुमानित है;
- (ख) क्या परियोजना से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो इसकी शुरुआत से अब तक उत्पादित की गई विद्युत का ब्यौरा क्या है और इससे प्राप्त की गई आय के वितरण के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हो;
- (घ) पुनर्वासित किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा पुनर्वासन हेतु कितनी मांग लंबित है; और
- (ङ) विद्युत परियोजना के निकट रहने वाले लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए टीएचडीसी द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स में ब्यौरे के अनुसार तीन परियोजनाएं सम्मिलित हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	मार्च, 15 तक किया गया व्यय (रु. करोड़ में)
1.	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	प्रचालनाधीन (2006-07 में चालू	8392.45 (पूर्णता लागत)	8392.45

		की गई)		
2.	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	प्रचालनाधीन (2011-12 में चालू की गई)	2620.21 (आरसीई अनुमोदन के अधीन)	2747.50
3.	टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)	निर्माणाधीन	2987.86 (अप्रैल 10 पीएल)	1189.02

(ख) और (ग) : 2006-07 से टिहरी एचपीपी से और 2011-12 से कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (एचईपी) से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। दोनों संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादित ऊर्जा (एमयू)	
	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)
2006-07	891.37	-
2007-08	2663.58	-
2008-09	3164.23	-
2009-10	2116.79	-
2010-11	3116.03	-
2011-12	3983.65	607.60
2012-13	3101.98	1164.05
2013-14	4060.43	1521.83
2014-15	3004.01	1210.17

इन संयंत्रों से उत्पादित आय (कर पश्चात लाभ) के भाग का भुगतान टीएचडीसीआईएल में उनके इक्विटी निवेश के बदले में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को किया जाता है और शेष भाग भविष्य की परियोजनाओं के विकास के लिए कंपनी में पुनः निवेश कर दिया जाता है।

(घ) : टीएचडीसीआईएल द्वारा पुनर्वास कार्य उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन में उप न्यायाधीश (टिहरी)/निदेशक पुनर्वास, टिहरी बांध परियोजना नई टिहरी के माध्यम से किए जाते हैं। निदेशक, पुनर्वास के रिकार्डों के अनुसार, 5291 शहरी परिवारों और 5299 ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है। पुनर्वास कार्य पर 1526 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। उप न्यायाधीश/निदेशक पुनर्वास की उपयुक्त मांग के अनुसार संपार्श्विक क्षति, संबद्धता, पुनर्वास निदेशालय के स्थापना प्रभार आदि के लिए निधियां पुनर्वास निदेशालय को उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ङ) : अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा उपायों में टिहरी और कोटेश्वर परियोजनाओं में अलार्मों की संस्थापना, चेतावनी साईन-बोर्ड को लगाना, मानसून के दौरान जलाशय और अनुप्रवाह भूमि पर उद्घोषणा करने के लिए लाउडस्पीकर के साथ वाहनों की तैनात, संभाव्य स्लाइड जोनों की पहचान के लिए नियमित जलाशय सर्वेक्षण ताकि समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें चौड़ा करना, नाले के लिए सुरक्षा कार्य, स्लोप की स्थिरीकरण आदि शामिल हैं। अब तक उपरोक्त कार्यकलापों पर लगभग 70.50 लाख रु. का व्यय किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6021

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं हेतु सरकारी जमीन

6021. श्री नन्दी एल्लैया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेलंगाना में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु पहचाने गये क्षेत्रों और उनसे उत्पादित की जाने वाली विद्युत और उस पर की गई अग्रिम कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी ने तेलंगाना में 2X800 मेगावाट (चरण-I) और 3X800 मेगावाट (चरण-II) के दो चरणों में 4000 मेगावाट का कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।

चरण-I (2X800 मेगावाट) का मुख्य संयंत्र रामगुंडम स्टेशन के भीतर स्थापित किया जाना है। चरण-I के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट का अनुमोदन दिनांक 31.10.2014 को किया गया है और निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) दिनांक 16.02.2015 को जारी की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-6049

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

6049. श्री बी. विनोद कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में उपलब्ध विद्यमान उच्च क्षमता वाली शॉर्ट सर्किट सुविधाओं और सी.पी.आर.आई. की जांच सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए उच्च क्षमता वाली शॉर्ट सर्किट सुविधाओं और सी.पी.आर.आई. की नई जांच सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली/संवर्धन की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

- (क) : देश में उपलब्ध विद्यमान उच्च क्षमता वाली शार्ट सर्किट सुविधाएं तथा सीपीआरआई की जांच सुविधाएं अनुबंध-I में दर्शायी गई हैं।
- (ख) और (ग) : सीपीआरआई में उच्च विद्युत क्षमता वाली शार्ट सर्किट सुविधाओं के संवर्धन और नई जांच सुविधाओं की स्थापना किए जाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 6049 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में उपलब्ध विद्यमान उच्च विद्युत क्षमता वाली शार्ट सर्किट सुविधाएं तथा सीपीआरआई जांच सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

सीपीआरआई, बंगलोर में उच्च विद्युत क्षमता वाली लैबोरेटरी 2500 एमवीए शार्ट सर्किट जेनरेटर्स से सुसज्जित है तथा ईएचवी सर्किट ब्रेकर, विद्युत ट्रांसफार्मरों, करंट ट्रांसफार्मरों, आइसोलेटर्स लाइन (वेव) ट्रेप्स, रिएक्टरों, इंसुलेटर स्ट्रिंग्स इत्यादि की जांच तथा प्रमाणन को सुविधाजनक बनाती है। इस लैबोरेटरी में 250 एमवीए तक के ट्रांसफार्मरों तथा 63 केए, 400 केवी तक के ईएचवी सर्किट ब्रेकरों की जांच की जा सकती है।

भोपाल में सीपीआरआई के स्विचगीयर जांच एवं विकास स्टेशन (एसटीडीएस) में 100 एमवीए ऑनलाइन जांच स्टेशन तथा 1500 एमवीए शार्ट सर्किट जेनरेटर सुविधा का प्रयोग करते हुए ईएचवी सर्किट ब्रेकर, विद्युत ट्रांसफार्मरों, आइसोलेटरों लाइन (वेव) ट्रेप्स, रिएक्टरों, इंसुलेटर स्ट्रिंगों इत्यादि की जांच तथा प्रमाणन की सुविधाएं दी जाती हैं। सीपीआरआई भोपाल में 40 एमवीए, 132/33 केवी क्लास तक के ट्रांसफार्मरों की जांच की जा सकती है।

हैदराबाद में अल्ट्रा हाई वोल्टेज (यूएचवी) अनुसंधान लैबोरेटरी में यूएचवी अनुसंधान की जांच के लिए एक विशेषज्ञता प्राप्त सुविधा है, तथा कोराडी में ताप अनुसंधान केंद्र (टीआरसी) यूनिट में ताप विद्युत संयंत्रों तथा संबद्ध घटकों के क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

नोएडा में क्षेत्रीय जांच लैबोरेटरी (आरटीएल) यूनिट में कम वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज केबल तथा कैपीसिटर्स के लिए ही सीमित जांच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कोलकाता एवं गुवाहटी के क्षेत्रीय केंद्रों में केवल ट्रांसफार्मरों के तेल विश्लेषण की सीमित सुविधाएं ही प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, डीवीसी तथा सीपीआरआई का संयुक्त उद्यम राष्ट्रीय उच्च विद्युत क्षमता वाली जांच लैबोरेटरी (एनएचपीटीएल) बीना, मध्य प्रदेश में स्थापित की जा रही है। यह सुविधा ऑनलाइन शार्ट सर्किट जांच सुविधा है जिसमें प्रथम चरण में 315 एमवीए क्षमता के तथा द्वितीय चरण में इससे अधिक की क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों की जांच की जा सकती है।

लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 6049 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सीपीआरआई में उच्च विद्युत क्षमता वाली शार्ट सर्किट सुविधाओं के संवर्धन और नई जांच सुविधाओं की स्थापना किए जाने का अनुमोदन निम्नानुसार किया है:

(क). 640 करोड़ रुपए के परिव्यय से संबद्ध उपस्कर के साथ दो अतिरिक्त 2500 एमवीए जेनरेटरों की संस्थापना करके उच्च विद्युत क्षमता वाली शार्ट सर्किट जांच सुविधाओं का संवर्धन।

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	स्थान
1.	उच्च विद्युत क्षमता वाली लैबोरेटरी, सीपीआरआई में संबद्ध उपकरण के साथ दो अतिरिक्त 2500 एमवीए जेनरेटरों की संस्थापना करके उच्च क्षमता शार्ट सर्किट जांच सुविधाओं का संवर्धन	बेंगलोर
2.	यूएचवी अनुसंधान लैबोरेटरी में "350 एमवीए ऑनलाइन शार्ट सर्किट जांच स्टेशन" की स्थापना	हैदराबाद
3.	शार्ट सर्किट जांच ट्रांसफार्मरों की स्थापना, उद्दीपन, मौजूदा जेनरेटर के लिए उद्दीपन प्रणाली	बेंगलोर

(ख). 356.10 करोड़ रुपए के परिव्यय से नई जांच सुविधाओं की स्थापना

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	स्थान
1.	पारेषण लाइन टावर जांच स्टेशन एवं संबद्ध जांच सुविधाओं की स्थापना	बेंगलोर और हैदराबाद
2.	एसटीडीएस में जांच सुविधाओं का संवर्धन	भोपाल
3.	अर्हता-पूर्व जांच सुविधाओं का संवर्धन	बेंगलोर
4.	शार्ट सर्किट जांच सुविधाओं की स्थापना एवं संवर्धन	बेंगलोर
5.	ताप अनुसंधान केंद्र (टीआरसी) नागपुर का पुनः स्थान निर्धारण एवं संवर्धन और नागपुर यूनिट का विस्तार	नागपुर
6.	क्षेत्रीय तेल जांच लैबोरेटरी की जांच सुविधाओं को बढ़ाना जिसमें आरटीएल-कोलकाता का पुनः स्थान निर्धारण शामिल है	बेंगलोर, नोएडा, हैदराबाद, भोपाल, कोलकाता और गुवाहटी
7.	एचपीएल में 40 केए सतत करंट ताप वृद्धि जांच सुविधा की स्थापना	बेंगलोर
8.	पश्चिमी क्षेत्र में क्षेत्रीय जांच लैबोरेटरी की स्थापना	नासिक
9.	विद्युत संयंत्र घटकों की गैर-विध्वंसकारी जांच एवं मूल्यांकन उत्कृष्टता केंद्र	बेंगलोर
10.	फेजर मापन यूनिट (पीएमयू) प्रणाली जांच एवं कैलिब्रेशन लैबोरेटरी की स्थापना	बेंगलोर
11.	स्मार्ट ग्रिड अनुसंधान लैबोरेटरी	बेंगलोर

(ग). 105.90 करोड़ रुपए के परियोजना से, विद्यमान सुविधाओं का संवर्धन एवं नई सुविधाओं की स्थापना।

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	स्थान
1.	हाई वोल्टेज/अल्ट्रा हाई वोल्टेज जांच सुविधाओं का उन्नयन	बेंगलोर
2.	वास्तविक समय डिजिटल सिम्युलेटर का उन्नयन	बेंगलोर
3.	ऊर्जा मीटर एवं कैलीब्रेशन लैबोरेटरी का संवर्धन	बेंगलोर, भोपाल और नोएडा
4.	प्रोटोकॉल एवं मीटर जांच लैबोरेटरी का संवर्धन	बेंगलोर
5.	निम्नलिखित की जांच सुविधा की स्थापना: (क) सौर पीवी आधारित ग्रिड टाइड इन्वर्टर प्रणालियां (500 केवीए तक) तथा (ख) सौर पीवी मॉड्यूल्स (500 डब्ल्यूपी तक)	दोनों बेंगलोर में
6.	बैटरी, इनग्रेस प्रोटेक्शन एवं इल्यूमिनेशन जांच सुविधाओं का संवर्धन, आधुनिकीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धि	बेंगलोर
7.	डायग्नोस्टिक्स, केबल, कैपीसिटर्स, ताप वृद्धि जांच, पर्यावरणीय जांच सुविधाओं का संवर्धन एवं आधुनिकीकरण	बेंगलोर

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-6058

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा सम्मेलन

6058. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री सी. गोपालकृष्णन:

श्री कलिकेश एन. सिंह देव:

श्री रामा किशोर सिंह:

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री राहुल शेवाले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन ग्रिडटेक आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो भागीदारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे नेटवर्क हेतु किसी पारेषण और वितरण प्रणाली को उपयुक्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सम्मेलन और प्रदर्शनी हमारे पारेषण और वितरण नेटवर्क हेतु किस प्रकार लाभदायी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी) और इण्डियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेनूफैक्चरर एसोसिएशन

(आईईईएमए) के सहयोग से प्रगति मैदान नई दिल्ली में 8-10 अप्रैल, 2015 को ग्रिड टेक, 2015 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय उत्पादकों, विभिन्न विद्युत क्षेत्र यूटिलिटियों (ट्रांसको तथा डिस्काम), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विनियामक आयोगों, शैक्षिकों, अनुसंधान संस्थानों आदि के अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ग) से (ङ) : पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में विभिन्न नए प्रौद्योगिकी उत्पादों को ग्रिडटेक में प्रदर्शित किया गया था जोकि भारतीय प्रणाली में लागू किए जाने के लिए उपर्युक्त हैं। इनमें से प्रमुख 765 केवी ओर 1200 केवी उपस्कर जैसे कि आइसोलेटर, लाइन हार्डवेयर फिटिंग एंड एसेसरीज, इन्स्यूलेटर, पारेषण लाइन निर्माण उपकरण, गैस इन्स्यूलेटिड स्विचगीयर (जीआईएस), भूमिगत जीआईएस सब स्टेशन, उच्च तापमान न्यून सेग कण्डक्टर, एचवीडीसी ट्रांसफार्मर, फेसर माप यूनिट, लिवलाइन मेंटेनेन्स और रोबोटिक आधारित लाइन अनुरक्षण उपकरण, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना, आउटेज प्रबंधन प्रणाली आदि हैं। सहमति प्राप्त सम्मेलनों वाले प्रदर्शन से पारेषण, वितरण, नवीकरणीय एकीकरण, स्मार्ट ग्रिड आदि के क्षेत्र में नई शुरू होने वाली तकनीकों के प्रयोग के लिए विद्युत यूटिलिटियों, आयोजकों, नीति निर्माताओं, विनियामकों, अनुसंधान संस्थानों, शैक्षिकों, निवेशकों तथा परामर्शकों आदि के लिए एक अद्वितीय अवसर उपलब्ध हुआ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-6067

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है।

पावर ग्रिड कार्पोरेशन का कार्यनिष्पादन

6067. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का विद्युत का अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत पारेषण में क्या भूमिका है एवं इस संबंध में क्या उपबंध निर्धारित किए गए हैं;
- (ख) क्या यह सच है कि विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत का अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों से विद्युत नहीं मिल रही है; और
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के रूप में पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) का यह उत्तरदायित्व है कि उत्पादक स्टेशनों से भार केंद्रों तक विद्युत के निर्बाध प्रवाह के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण के एक कुशल, समन्वित और किफायती प्रणाली का विकास सुनिश्चित करे।

(ख) और (ग) : कोई राज्य वर्ष की किसी अवधि और अंतर-राज्यीय और अंतःराज्य ग्रिड में विद्युत प्रणाली से संबंधित कारकों पर निर्भर करते हुए अधिशेष/कमी की स्थिति में हो सकता है। इस प्रकार उत्पन्न हुई किसी कमी/अधिशेष को विद्युत बाजार से विद्युत की प्राप्ति/बिक्री द्वारा पूरा किया जाता है।

जहां तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के माध्यम से विद्युत के अंतरण का संबंध है, इस समय विभिन्न राज्यों में उत्पादक स्टेशनों से विभिन्न लाभग्राही राज्यों को दीर्घकालिक आबंटित विद्युत के अंतरण में कोई बाधा नहीं है। तथापि, अतिरिक्त विद्युत, जो राष्ट्रीय ग्रिड से दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी ग्रिड से उत्तरी ग्रिड के बीच भी दीर्घकालीन पहुँच दी जानी है, के अंतरण में कुछ बाधाएं हैं। मध्यावधि/अल्पावधि खुली पहुँच के अंतर्गत विद्युत का अंतरण मौजूदा प्रणाली के उपलब्ध पारेषण मार्जिन के आधार पर किया जाता है। ऐसी विद्युत के अंतरण के लिए, उस समय उपलब्ध भार उत्पादन पर निर्भर करते हुए असहजता अनुभव की जा सकती है।

कई अंतर-क्षेत्रीय संपर्कों की योजना बनाई गई है जो पांच क्षेत्रीय ग्रिडों के अंतर-संपर्क द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण करती हैं। इस समय ऐसे अंतर-क्षेत्रीय संपर्कों की कुल पारेषण क्षमता 45,850 मेगावाट (मार्च, 2015 तक) है, जो 12वीं योजना की समाप्ति अर्थात् 2016-17 तक बढ़कर 68,050 मेगावाट हो जाएगी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-6073

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

6073. श्री शिवकुमार उदासि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में कुशल और अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकताओं का आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की क्षमता में वृद्धि करने सहित उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सहायता करने के लिए भी विद्युत कंपनियों को निदेश दिए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट में प्रयुक्त मानदंडों के आधार पर, 12वीं योजना के लिए परिकल्पित क्षमता अभिवृद्धि के लिए विद्युत क्षेत्र में कुशल और अकुशल कर्मचारियों की आवश्यकताओं का आकलन किया है जो इस प्रकार है:-

श्रेणी	जनशक्ति की आवश्यकता
1. अभियंता	67,500
2. प्रचालक	63,300
3. तकनीशियन/कार्य-बल	
(क) कुशल कामगार	67,700
(ख) अर्द्धकुशल कामगार	74,400
(ग) अकुशल कामगार	83,500
कुल	3,56,400

सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की क्षमता बढ़ाने के लिए केरल और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) के दो नए संस्थानों (दोनों राज्यों में एक-एक) की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) अधिनियम, 2010 के अनुसार, विद्युत क्षेत्र कंपनियों के सभी कर्मचारियों को एक विशिष्ट अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होता है जो प्रचालन एवं अनुरक्षण से जुड़े होते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या-6080

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

6080. प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय सहायता की कितनी राशि प्रदान की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। देश में "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) के अंतर्गत विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। तत्कालीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) आईपीडीएस में शामिल किया गया है। स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) : विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आर-एपीडीआरपी/आईपीडीएस के अंतर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े रूपए करोड़ में)

वित्त वर्ष 2012-13		वित्त वर्ष 2013-14		वित्त वर्ष 2014-15	
संस्वीकृत परियोजना	जारी की गई निधियां	संस्वीकृत परियोजना	जारी की गई निधियां	संस्वीकृत परियोजना	जारी की गई निधियां
2306.87	1217.45	4331.02	639.99	4423.11	628.47

(टिप्पणी : 2014-15 के आंकड़ों में आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाएं तथा जारी की गई निधियां शामिल हैं।)

लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 6080 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आईपीडीएस के घटक आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संस्वीकृत एवं संवितरण

राज्य/यूटी	परियोजना संस्वीकृत (रुपए करोड़)			संवितरित निधि (रुपए करोड़)		
	2012-13	2013-14	2014-15	2012-13	2013-14	2014-15
आंध्र प्रदेश	95.20	56.77	100.93	11.90	56.61	8.49
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	75.79	0.00	34.60
बिहार	530.05	0.00	0.00	82.53	97.36	0.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	118.85	34.54	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	-39.77	43.17	127.02	55.99	28.79	15.25
हरियाणा	0.00	793.90	0.00	0.00	0.00	27.14
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	29.59	0.00	21.28
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
झारखण्ड	0.00	1251.68	0.00	0.00	27.78	0.00
कर्नाटक	-162.40	0.00	7.56	0.00	95.96	7.99
केरल	206.13	0.00	0.00	30.92	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	44.91	0.00	0.00	38.51	46.20	0.00
महाराष्ट्र	154.54	0.00	-341.38	125.01	0.00	0.00
मणिपुर	398.87	0.00	0.00	119.66	0.00	0.00
मेघालय	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00	47.92
मिजोरम	0.00	240.41	0.00	0.00	57.50	14.62
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा		395.86	0.00	0.00	0.00	79.21
पुडुचेरी	98.67	0.00	0.00	0.00	14.10	2.78
पंजाब	0.00	122.97	0.00	10.26	13.50	4.29
राजस्थान	-4.40	0.00	110.14	36.07	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	-14.67	0.00	0.00	2.58
तमिलनाडु	-1088.68	90.81	228.40	0.00	0.00	0.00
तेलंगाना	33.74	26.78	0.00	0.00	83.04	0.00
त्रिपुरा	16.83	0.00	0.00	6.71	0.00	32.96
उत्तर प्रदेश	1824.44	1015.63	930.36	302.00	84.61	195.84
उत्तराखण्ड	191.46	0.00	6.42	117.79	0.00	61.56
पश्चिम बंगाल	7.28	133.31	0.00	55.87	0.00	21.96
कुल	2306.87	4331.02	1154.78	1217.45	639.99	578.47

(टिप्पणी: (-) चिह्न के साथ दर्शायी गई परियोजना लागत संचालन समिति द्वारा रद्द कर दी गई है।)

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत एवं संवितरण

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परियोजना लागत (रुपए करोड़)	जारी की गई निधि (रुपए करोड़)
1	आंध्र प्रदेश	432.65	3.00
2	बिहार	245.54	2.13
3	गुजरात	374.78	5.00
4	मध्य प्रदेश	72.94	1.20
5	उत्तर प्रदेश	1067.73	24.87
6	पश्चिम बंगाल	1074.68	13.80
कुल		3268.32	50.00

{टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा 20.11.2014 (2014-15) को आईपीडीएस योजना अनुमोदित की गई थी। }

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6102

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

टी.एच.डी.सी. अधिकारियों के ब्यौरे

6102. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों में अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में कितने अधिकारी काम कर रहे हैं;
- (ख) क्या टी.एच.डी.सी. के कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी अनियमितता सरकार के ध्यान में लाई गई है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा इस संबंध में क्या मानदंड बनाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : टीएचडीसीआईएल के विभिन्न स्थानों पर स्थित उनके कार्यालयों में स्वीकृत 1471 पदों की तुलना में 2010 अधिकारी काम कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : टीएचडीसीआईएल में कर्मचारियों की पदोन्नति में किसी अनियमितता की कोई सूचना नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6104

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में विद्युत संयंत्र

6104. श्री के. परसुरमनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों में हुए फाल्ट/काम न करने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और फाल्ट/काम न करने की अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन कितना प्रभावित हुआ है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : तमिलनाडु राज्य में स्थित केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत स्टेशनों की सूची अनुबंध-1 में है।

(ख) और (ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों में खराबी/असफलता, प्रभावित उत्पादन और उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा अनुबंध-॥ में दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 6104 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु में केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों की सूची

राज्य	परियोजना का नाम (केंद्रीय क्षेत्र)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
तमिलनाडु	कोयला/लिग्नाइट	
	नेवेली ताप विद्युत केंद्र I	300
	नेवेली ताप विद्युत केंद्र I	300
	नेवेली ताप विद्युत केंद्र II	1470
	नेवेली ताप विद्युत केंद्र चरण-II	500
	नेवेली ताप विद्युत केंद्र (एक्स्टें)	210
	नेवेली ताप विद्युत केंद्र (एफएसटी)	210
	वैल्लूर ताप विद्युत स्टेशन	1500
	तूतीकोरिन	500
	नाभिकीय	
	मद्रास एपीएस	440
	कुडनकुलम	1000
	कुल	6430

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ अतारकित प्रश्न संख्या 6104 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में स्थित केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत स्टेशनों में खराबी/असफलता, प्रभावित उत्पादन तथा उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा

संयंत्र का नाम	प्रभावित विद्युत उत्पादन सहित खराबी/असफलता का ब्यौरा	उपचारात्मक उपाय
2012-13		
नेवेली टीपीएस-I एक्सपेंशन	यद्यपि कोई बड़ी असफलता नहीं थी, तथापि टरबाइन सहायक स्टीम लीक तथा खराब ड्रम स्तर के नियंत्रकों के कारण 15 मिलियन यूनिट (एमयू) उत्पादन की हानि हुई थी।	टरबाइन सहायक प्रणाली तथा ड्रम स्तर के नियंत्रकों को ट्यून तथा दुरुस्त किया गया था।
नेवेली टीपीएस-II	बायलर में वाटरवाल ट्यूब पंचर तथा टरबाइन और उसकी सहायक में कुछ समस्याओं के कारण कुल 367 एमयू की हानि हुई थी।	दबाव वाले भागों को बदल दिया गया था और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपकरणों को दुरुस्त किया गया था।
एनटीईसीएल, वैल्लूर ताप विद्युत परियोजना	बायलर ट्यूब लीकेज, 134 एमयू की हानि	यूनिट-I बायलर एसिड की सफाई की जा चुकी है। ट्यूब की मोटाई के सर्वेक्षण तथा कोरोजन मानचित्रण के आधार पर दूषित जल की वाल ट्यूबें बदल दी गई हैं।
	कण्डेन्सर ट्यूब लीकेज 57 एमयू	बंद होने के दौरान कण्डेन्सर ट्यूबों को व्यापक रूप से जाँचा गया था, तथा 2012-13 के पश्चात कण्डेन्सर ट्यूब की खराबी के कारण आउटेज की कोई घटना नहीं हुई थी।
	सीएचपी समस्या 42 एमयू	(क) रीक्लेमर # 2 बेल्ट ड्राइव असेम्बली एवं कपलिंग क्षतिग्रस्त। दुरुस्त और बहाल हो गई है। (ख) रीक्लेमर# 2 की बकट व्हील असफल उपस्कर की मरम्मत की जा चुकी है और बहाल किए जा चुके हैं। (ग) 4.3 किलोमीटर लंबी सिंगल पाइप कन्वेयर (स्टेण्ड बाई नहीं) की असफलता। (i) बेल्ट हेड एंड ड्राइव पर फंस एवं मुड़ गई है। दुरुस्त और बहाल कर दी गई है, (ii) परिवर्तनीय अनुपात ड्राइव नियंत्रण प्रणाली की असफलता। खराब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बदल एवं वापस कर दिए गए हैं।
2013-14		
नेवेली टीपीएस-I एक्सपेंशन	खराब इलेक्ट्रिकल रिसे तथा डीसीएस कार्ड के अतिरिक्त 3 अवसरों पर बायलर ट्यूब पंचर थे, जिसमें 55.83 एमयू उत्पादन हानि हुई थी।	पुराने प्रेशर पार्टों, खराब इलेक्ट्रिकल रिसे तथा डीसीएस कार्डों को बदल दिया गया था।
नेवेली टीपीएस-II	यूनिट 7 के जनरेटर में बायलर में वाटर वाल ट्यूब पंचर तथा स्टेटर अर्थ खराबी के कारण 304 एमयू की कुल हानि हुई थी।	पुराने प्रेशर पार्टों को बदल दिया गया था और स्टेटर अर्थ फाल्ट को सही कर दिया गया था।
एनटीईसीएल, वैल्लूर ताप विद्युत परियोजना	बायलर ट्यूब लीकेज, 707 एमयू की हानि	यूनिट-1 बायलर और एसिड क्लीनिंग पूरी का जा चुकी है। ट्यूब की मोटाई के सर्वेक्षण तथा कोरोजन मानचित्रण के आधार पर खराब जल वाल पुनः

संयंत्र का नाम	प्रभावित विद्युत उत्पादन सहित खराबी/असफलता का ब्यौरा	उपचारात्मक उपाय
		बदल दी गई थी।
	इलेक्ट्रिकल प्रणाली- स्विचयार्ड में जीआईएस गैस लीकेज, 290 एमयू की हानि।	पीआरडी में प्रारूप दक्षताएं दुरुस्त की गईं। उसके बाद असफलता की कोई घटना नहीं हुई।
	सीएचपी समस्या, 111 एमयू की हानि	(क) रीक्लेमर # 2 बेल्ट ड्राइव असेम्बली एवं कपलिंग क्षतिग्रस्त। दुरुस्त और बहाल हो गई है। (ख) रीक्लेमर # 2 की बकट व्हील असफल, उपस्कर की मरम्मत की जा चुकी है और बहाल किए जा चुके हैं। (ग) 4.3 किलोमीटर लंबी सिंगल पाइप कन्वेयर (स्टेण्ड बाई नहीं) की असफलता। (i) बेल्ट हेड एंड ड्राइव पर फंस एवं मुड़ गई है। दुरुस्त और बहाल कर दी गई है, (ii) परिवर्तनीय अनुपात ड्राइव नियंत्रण प्रणाली की असफलता। खराब इलेक्ट्रानिक कार्ड बदल एवं वापस कर दिए गए हैं।
2014-15		
नेवेली टीपीएस-I	यूनिट 7 (100 मेगावाट) को एचपी हीटर के शैल के डिस्लोजमेंट के बाद 10.09 बजे 20.5.2014 को ट्रिप हो गया था जिससे टीजी हाल की छत तथा उसके मार्ग के परिसर में उपस्करों को व्यापक क्षति हुई थी। इस खराबी/असफलता के कारण 184 एमयू तक के उत्पादन की हानि हुई थी।	टीजी हाल की छत की क्षति को दुरुस्त तथा क्षतिग्रस्त उपस्करों का पुनस्थापन/पुनःसंशोधन सुरक्षित रूप से किया गया था और यूनिट 7 को 13.8.2014 को 7.20 बजे सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज किया गया था।
नेवेली टीपीएस-I एक्सपेंशन	2 बार बायलर ट्यूब पंकचर, खराब इलेक्ट्रिकल रिले के कारण तथा टरबाइन वैक्यूम प्रचालन प्रणाली में खराबी के कारण 62.90 एमयू तक उत्पादन हानि हुई थी।	पुराने प्रेशर पार्ट तथा खराब इलेक्ट्रिकल रिले बदल दिए गए थे और टरबाइन वैक्यूम प्रचालन प्रणाली में खराबी को ठीक कर दिया गया था।
नेवेली टीपीएस-II	बायलर में वाटर वाल ट्यूब पंकचर तथा बायलर सहायक उपस्करों में खराबी के कारण 424 एमयू की कुल हानि हुई थी।	पुराने प्रेशर पार्टों को बदल दिया गया था और पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए बायलर सहायक उपस्करों को दुरुस्त कर दिया गया था।
एनटीईसीएल, वैल्वर ताप विद्युत परियोजना	बायलर ट्यूब लीकेज, 1108 एमयू की हानि।	यूनिट-1 बायलर एसिड क्लीनिंग की जा चुकी है, ट्यूब की मोटाई के सर्वेक्षण तथा कोरोजन मानचित्रण के आधार पर खराब वाटर वाल ट्यूबों को बदल दिया गया है।
	सीएचपी समस्या, 186 एमयू की हानि	(क) रीक्लेमर # 2 बेल्ट ड्राइव असेम्बली एवं कपलिंग क्षतिग्रस्त। दुरुस्त और बहाल हो गई है। (ख) रीक्लेमर# 2 की बकट व्हील असफल उपस्कर की मरम्मत की जा चुकी है और बहाल किए जा चुके हैं। (ग) 4.3 किलोमीटर लंबी सिंगल पाइप कन्वेयर (स्टेण्ड बाई नहीं) की असफलता। (i) बेल्ट हेड एंड ड्राइव पर फंस एवं मुड़ गई है। दुरुस्त और बहाल कर दी गई है, (ii) परिवर्तनीय अनुपात ड्राइव नियंत्रण प्रणाली की असफलता। खराब इलेक्ट्रानिक कार्ड बदल एवं दुरुस्त कर दिए गए हैं।
मद्रास नाभिकीय विद्युत स्टेशन	जनरेटर अर्थ की खराबी, उत्पादन 90.9 एमयू की हानि	जनरेटर अर्थ की खराबी को दूर करने/दुरुस्त करने के पश्चात यूनिट को सिंक्रोनाइज किया गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6118

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं

6118. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जल विद्युत क्षमता के आकलन का अध्ययन किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक यह अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है;
- (घ) क्या सरकार का विचार जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उक्त के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में गिरावट न आना सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1978-87 के दौरान जल विद्युत संभाव्यता का पुनर्मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता के संबंध में देश की जल विद्युत संभाव्यता 148701 मेगावाट आकलित की गई है जिसमें से 145320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत योजनाएं शामिल हैं।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6140

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम के बीच प्रतिस्पर्धा

6140. श्री प्रतापराव जाधव:

श्री राम टहल चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मौजूदा व्यवस्था में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों का विकल्प सामान्य तौर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ग) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और एकाधिकार को हतोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त आयोग दो अथवा अधिक व्यक्तियों को एक ही क्षेत्र के भीतर उनकी स्व-वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

स्वयं अपना वितरण नेटवर्क रखने की शर्त लागत प्रभावी नहीं है और इसलिए, मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पास विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत वितरण कंपनियों का विकल्प सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है।

सरकार द्वारा 19 दिसंबर, 2014 को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में विद्युत क्षेत्र में कैरिअज (वितरण नेटवर्क) को कंटेंट (विद्युत आपूर्ति व्यापार) से पृथक करने का प्रस्ताव है। मल्टीपल आपूर्ति लाइसेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को चयन का विकल्प देते हुए वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं दक्षता लाने के लिए वितरण नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6148

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत कम्पनियों द्वारा मानकों का उल्लंघन

6148. श्री चन्द्रकांत खैरे:

श्री राम टहल चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत के वितरण के लिए निर्धारित मानकों के विरुद्ध कम्पनियों की आपराधिक शिकायतों के पंजीकरण के बारे में क्या प्रावधान हैं;
- (ख) क्या यह सरकार की जानकारी में लाया गया है कि जिन क्षेत्रों में निजी कंपनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, वहां से सूचित की गई विद्युत खपत, वास्तविक विद्युत खपत से अधिक है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 और 146 में उपयुक्त आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दण्ड की व्यवस्था है।

धारा 142 के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत फाइल की जाती है अथवा यदि आयोग इससे संतुष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने विद्युत अधिनियम, 2003 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के किसी उपबंध अथवा आयोग द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश का उल्लंघन किया है, तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक लाख रुपए का आर्थिक दण्ड और लगातार विफल रहने पर जब तक विफलता बनी रहती है, तब तक प्रत्येक दिन के लिए छः हजार रुपए का अतिरिक्त दण्ड लगाने का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के अंतर्गत किसी कंपनी सहित कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश अथवा निदेश का ऐसे समय के भीतर जो उस आदेश या निदेश में निर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करने में विफल रहता है अथवा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किन्हीं नियमों अथवा विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है अथवा दुष्प्रेरण करता है तो उसके विरुद्ध दण्ड की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक अपराध के लिए तीन महीने तक के कारावास अथवा एक लाख रुपए तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों और लगातार विफलता के मामले में, अतिरिक्त अर्थदंड, जो प्रत्येक दिन के लिए छः हजार रुपए तक हो सकता है, शामिल है।

धारा 142 और 146 के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार के पास कोई ऐसी विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 30.04.2015 को उत्तरार्थ आतारकित प्रश्न संख्या 6148 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

धारा 142 (उपयुक्त आयोग द्वारा निर्देशों के अनुपालन न किए जाने के लिए दंड) :

यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है, तो समुचित आयोग ऐसे व्यक्ति को, मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी होगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, संदाय करेगा जो छह हजार रुपए तक हो सकेगी।

धारा 146 (आदेशों अथवा निर्देशों की अनुपालना न किए जाने के दंड):

जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का ऐसे समय के भीतर जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा, वह प्रत्येक अपराध की बाबत ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर असफल रहने की दशा में ऐस अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता ऐसे अपराध के प्रथम सिद्धदोष होने के पश्चात् जारी हरती है पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6165

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क

6165. श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि तथा इस वृद्धि को गरीब लोगों विशेषकर देश में जनजातियों पर प्रभाव को संज्ञान में लिया है; और
- (ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है एवं विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में कई डिस्कार्मों द्वारा वृद्धि किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत प्रशुल्क के बारे में केंद्र सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है, क्योंकि वितरण कंपनियों का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/ संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकारें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के साथ-साथ प्रशुल्क नीति के खंड 8.3 के प्रावधानों के अनुसार उस सीमा तक जिसे वे उपयुक्त समझे, सब्सिडी दे सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के प्रत्यक्ष विनियमन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) : उपयुक्त नीतिगत कार्यवाही और कार्यक्रमों के जरिए सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण कारोबार में दक्षता को बढ़ावा दे रही है और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने की दृष्टि से वितरण और पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण को भी बढ़ावा दे रही है। इन उपायों सहित सरकारी की प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क खोज की अवधारणा से प्रशुल्क दरें कम करने की दिशा में योगदान मिलता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-6185

जिसका उत्तर 30 अप्रैल, 2015 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा राज्यों के साथ मूल्यांक पर समझौता

6185. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) एनटीपीसी द्वारा कितने राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और इसकी प्रति यूनिट कीमत कितनी है;
- (ख) क्या एनटीपीसी संयंत्रों के समीप स्थित राज्यों को इन संयंत्रों से दूर स्थित राज्यों की तुलना में महंगी बिजली मिल रही है;
- (ग) यदि हां, तो जहां एनटीपीसी के संयंत्र स्थापित नहीं हैं वहां विद्युत की पारेषण-लागत कितनी है; और
- (घ) सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए इसका एकरूप मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी अपने विद्युत स्टेशनों से मणिपुर, त्रिपुरा राज्यों, लक्षद्वीप तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है। एनटीपीसी स्टेशनों के विद्युत की कीमत का निर्णय सीईआरसी द्वारा स्टेशन-वार किया जाता है और यह किसी विशेष स्टेशन के लिए, उस विद्युत स्टेशन से जिसे विद्युत का आबंटन किया जाता है, ऐसे प्रत्येक राज्य के लिए एकसमान होता है।

(ख) और (ग) : एनटीपीसी राज्यों को विद्युत की आपूर्ति स्टेशन एक्स-बस बार आधार पर करता है और इस प्रकार किसी पारेषण लागत का वहन नहीं करता। किसी विशेष स्टेशन से सभी राज्यों के लिए विद्युत की कीमत (एक्स-बस) एकसमान होती है, चाहे उस विशेष स्टेशन से राज्य की दूरी/स्थिति कुछ भी हो।

(घ) : सभी राज्यों के लिए मूल्य बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि सभी राज्य अलग-अलग एनटीपीसी स्टेशनों से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं और स्टेशन-वार प्रशुल्क का निर्णय सीईआरसी द्वारा किया जाता है।
